प्रतिवेद्य

भारतीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील सं. 1670/2019

[SLP संख्या -1299/2016 से उत्पन्न]

अवधेश कुमार .....अपीलार्थी

बनाम

यूपी राज्य और अन्य. ..... प्रत्यर्थीगण

न्यायमूर्ती एम.आर.शाह,

1. अनुमति प्रदान की गई।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

2. उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायक्षेत्र लखनऊ पीठ में आपराधिक अपील संख्या - 2517/2009 में जारी दिनांकित 18.12.2015 आदेश और आक्षेपित निर्णय से व्यथित और अंसन्तुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने मूल अभियुक्तों द्वारा अपील की आंशिक रूप से अनुमति दिया है और भारतीय दण्ड संहिता के भाग-1 की धारा 302 से धारा 304 की सजा में परिवर्तित किया गया है, मूल शिकायतकर्ता ने इस अपील को प्राथमिकता दी है।

3- अभियोजन पक्ष के मामले के संक्षिप्त तथ्य यह थे कि शिकायतकर्ता अवधेश कुमार ने 11. 07. 2006 को पुलिस स्टेशन खीरी, जिला लखीमपुर खीरी में 18: 45 बजे आरोप लगाया कि 11. 07. 2006 को लगभग 5: 30 बजे उसकी माँ श्रीमती लज्ञावती ने रविंदर वर्मा (एतस्मिन मूल आरोपी सं. 1 प्रत्यर्थी सं. 2) के भतीजे विशुन कुमार के बुरे व्यवहार के बारे में शिकायत दर्ज करवाई। उस समय, सुधीर @रामअवध, राकेश, विशुन कुमार भी वहां मौजूद थे। जब शिकायतकर्ता की मां शिकायत कर रही थी, इस बीच उपरोक्त सभी चार व्यक्तियों ने उनकी मां के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। इस बीच, शिकायतकर्ता के भाई अनूप कुमार और उनके पिता रामलखन भी वहां पहुंच गये। फिर इन व्यक्तियों ने उन सभी चार आरोपी व्यक्तियों को वहां से जाने के लिए कहा। शिकायतकर्ता पक्ष के इस आचरण से क्षुब्ध होकर, विष्णु कुमार, राकेश कुमार और सुधीर @रामअवध ने रविंदर को मृतक पर गोली मारने के लिए उकसाया, रविंदर ने देशी कट्टा से शिकायतकर्ता की मां पर गोली चला दी। शिकायतकर्ता ने अन्य व्यक्तियों के साथ अपनी घायल मां को पुलिस स्टेशन ले गया और प्राथमिकी दर्ज की।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

4- यह कि आरंभ में मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 504, 506/34 के अधीन पंजीकृत किया गया था, जाँच के पश्चात् जाँचाधिकारी ने सभी, चारों अभियुक्त व्यक्तियों के साथ प्रत्यर्थी संख्या-2 के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया, उन सभी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए विद्वत सत्र न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया था। विद्वत विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी सं-2 (एतस्मिन रविंदर) को दोषी ठहराया, क्योंकि मृतक पर गोली चलाने की विशिष्ट भूमिका के लिए वह जिम्मेदार था। विद्वत विचारण न्यायालय ने अन्य तीनों अभियुक्त व्यक्तियों को बरी कर दिया। प्रत्यर्थी संख्या-2 को (एतद्द्वारा वास्तविक अभियुक्त संख्या-1) विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए सजा के आदेश से असंतुष्ट महसूस करते हुए, उसे उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील को प्रस्तुत किया। आक्षेपित निर्णय और आदेश के द्वारा उच्च न्यायालय नें उसकी दोष सिद्धि को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत दण्डनीय से भारतीय दण्ड संहिता के धारा 304 के भाग-1 के तहत दण्डनीय, में संसोधित कर दिया है और उसको दस वर्ष के कठोर कारावास और 20,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 से 304 के भाग-1 में सजा को संशोधित करने के लिए पारित किए गए फैसले और आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, मूल शिकायतकर्ता ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

5- अपीलार्थी-मूल शिकायतकर्ता की ओर से पेश विद्वत अधिवक्ता ने यह शिष्टतापूर्वक प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

भारतीय दंड संहिता की धारा 302 से धारा 304 भाग-1 के अधीन दोषसिद्धि को संशोधित करने में गंभीर त्रुटि की है

6- यह मूल शिकायतकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया है कि, जैसा की, अभियुक्त ने मृतक पर अत्यधिक निकट से गोली चलाई, जिसके कारण मृतक को गंभीर चोटें आईं और अंततः उसकी मृत्यु हो गई और इसलिए, मामला भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के चौथे खंड के अंतर्गत आएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इसलिए, जब मामला भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के चौथे खंड में आता है, तो अभियुक्त का कृत्य गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी होगा। मूल शिकायतकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने यह मानने में भौतिक रूप से त्रुटि की है की अभियुक्त रविंदर द्वारा किया गया अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-300 के अपवाद-4 के भीतर आएगा, यह देखते हुए कि यह एक नियोजित अपराध नहीं था और कोई पूर्व इरादा नहीं था और यह तात्कालिक रूप से क्षणिक आवेश में यह घटना हुई। यह मूल शिकायतकर्ता की ओर से पेश किए गए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 में केवल तभी जाएगा जब कोई लड़ाई या झगड़ा होता है जिसके लिए आपसी उत्तेजना की आवश्यकता होती है और दोनों पक्षों द्वारा प्रहार किया जाता है जिसमें अपराधी अनुचित लाभ नहीं उठाता है। उनके उपरोक्त प्रस्तुतिकरण के समर्थन में, मूल शिकायतकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने ***मध्य प्रदेश राज्य बनाम शिवशंकर (2014) 10 SCC 366*** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर अत्यधिक अवलम्ब लिया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि, वर्तमान मामले में, मृतक के

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा कोई प्रहार नहीं किया गया था। शिकायतकर्ता पक्ष और मृतक के पास कोई हथियार नहीं था। मृतक और अभियुक्त के भतीजे के साथ तकरार/शब्दों का आदान-प्रदान हुआ जिसके बाद अभियुक्त एक देशी अग्नेयास्त्र के साथ आया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए मामला भारतीय दण्ड संहिता की धारा-300 के अपवाद-4 के तहत नहीं आएगा। यह इसलिए प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा-302 के अधीन दंडनीय अपराध से दंड को धारा-304 के भाग-1 में परिवर्तित करने में तात्विकः त्रुटि की है।

7- मूल अभियुक्त सं.1 -यहाँ प्रत्यर्थी सं.2, की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा अंततः भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304 के भाग-1 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए गए अभियुक्त को आक्षेपित निर्णय और पारित आदेश का समर्थन करने के लिए कड़े प्रयास किए गए हैं। प्रत्यर्थी सं.2 -मूल आरोपी सं.1 की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया की उच्च न्यायालय ने सही ढंग से यह मत व्यक्त किया है की यह एक समायोजित अपराध नही था और यहाँ पर कोई पूर्व आशय नहीं था और यह तात्कालिक रूप से क्षणिक आवेश में यह घटना हुई। प्रत्यर्थी सं.2 की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया है की इसलिए कि उच्च न्यायालय ने सही रूप से देखा है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा-300 के अपवाद-4 को लागू किया जाएगा और इसलिए, उच्च न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता कि धारा-302 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304 के भाग-1 में सजा को सही रूप में परिवर्तित कर दिया है।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

7.1- प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से पेश विद्वत अधिवक्ता ने अन्य तीन अभियुक्तों को बरी करते हुए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज पाया गया, के माध्यम से हमने ग्रहण किया है और प्रस्तुत किया है कि अन्य तीन अभियुक्तों को बरी करते समय, विद्वत विचारण न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि पूर्व नियोजन के साथ हत्या करने का कोई पूर्व इरादा नहीं था और बल्कि यह घटना अचानक हुई, जब लज्ञावती रविंदर से शिकायत करने के लिए गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष विवादित नही किए गए है। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामला भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 में आएगा और इसलिए भी उच्च न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता के तहत धारा 302 को भारतीय दण्ड संहिता के तहत धारा 304 भाग I में दंडनीय अपराध के लिए सजा को सही रूप से परिवर्तित कर दिया है।

8- हमने सम्बंधित पक्षों के लिए उपस्थित विद्वत अधिवक्ता को विस्तार से सुना है। हम विद्वत विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्षों पर भी विचार कर चुके हैं।

8. 1 आरंभ में, यह उल्लेखनीय है कि विद्वत विचारण न्यायालय प्रत्यर्थी सं. 2 एतद्द्वारा - मूल आरोपी सं. 1 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दंडनीय है। आक्षेपित निर्णय और आदेश के द्वारा, उच्च न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सजा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 भाग I के आधार पर परिवर्तित कर दिया:

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(i) यह सुनियोजित अपराध नहीं था;

(ii) यहाँ कोई पूर्व इरादा नहीं था; और

(iii) यह तात्कालिक रूप से क्षणिक आवेश में हुआ,

इसलिए, उच्च न्यायालय के अनुसार, मामला भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के तहत आएगा। हालांकि, अभिलेखों के सामग्री/साक्ष्य पर विचार करने पर और मूल शिकायतकर्ता के बयान पर विचार करने पर और अभियोजन द्वारा साबित मामले पर विचार करते हुए, विचाराधीन घटना जो मूल अभियुक्त सं.1- रविंदर, के चचेरे भाई द्वारा मृतक के साथ इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा के आधे घंटे बाद हुई थी। इसके बाद, प्रत्यर्थी सं. 2 यहाँ-मूल आरोपी सं. 1 दूसरों के साथ देशी अग्नेयास्त्र के साथ आया और उस समय मृतक ने विशुन कुमार (मूल अभियुक्त सं.1 का चचेरा भाई) द्वारा प्रयुक्त अभद्र भाषा के संबंध में शिकायत की थी, और उस समय प्रत्यर्थी सं.2 -मूल आरोपी सं.1 गाली देने लगा। उस समय, मृतक और अन्य लोगों ने उन्हें भविष्य में अभद्र शब्दों का उपयोग नहीं करने के लिए कहा और उसे वहाँ से जाने के लिए कहा। उस समय, प्रतिवादी सं.2 -मूल आरोपी सं. 1 ने मृतक और अन्य लोगों से उसे चुनौती न देने के लिए कहा और उसने कहा कि "क्या आपको नहीं पता कि मुझे दोषी ठहराया गया है, अब मेरे पास किसी प्रकार का भय नहीं है", इसके बाद, रविंदर -प्रत्यर्थी सं.2 -मूल आरोपी सं. 1 ने निकट सीमा से गोली चलाई। मृतक सहित शिकायतकर्ता पक्ष के किसी भी व्यक्ति के पास कोई हथियार नहीं था। मृतक द्वारा कोई गंभीर

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

और अचानक उकसावे की स्थिति उत्पन्न नहीं की गई थी, जिससे कारण अभियुक्त मृतक पर गोली चलाये और वह भी बहुत निकट सीमा से।

8.2 जैसा कि **शिवशंकर (उपरोक्त)** के मामले में इस न्यायालय द्वारा मत व्यक्त किया गया है, आशय आक्षेप का विषय है और जब मृत्यु आशयपूर्वक गोलीबारी के परिणामस्वरूप होती है तो आशय मृत्यु कारित करने का होना चाहिए है जब तक मामला किन्ही अपवादों के अधीन न हो। यह आगे देखा गया है और माना गया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 300 के अपवाद-4 केवल तभी उपयुक्त होता है जब कोई लड़ाई या झगड़ा होता है जिसके लिए आपसी उकसावे की आवश्यकता होती है और दोनों पक्षों द्वारा प्रहार किया जाता है जिसमें अपराधी अनुचित लाभ नहीं उठाता है।

8.3 **भगवान मुंजाजी पावडे बनाम महाराष्ट्र राज्य(1978)3 एससीसी330** के मामले में, पैरा 6 में, इस न्यायालय ने निम्न मत दिया है:

> "6. ..... यह सच है कि धारा-300 के अपवाद 4 की प्रयोज्यता के लिए कुछ शर्तें यहां मौजूद हैं, लेकिन सभी नहीं। झगड़ा अचानक शुरू हो गया था, लेकिन मृतक और **अपीलकर्ता** के बीच अचानक लड़ाई नहीं हुई। झगड़ा से तात्पर्य दो पक्षों के बीच लेन-देन से है जिसमें प्रहार किये जाते है । मृतक निहत्था था और उसने अपीलकर्ता या उसके साथियों को कोई चोट नहीं पहुंचाई। इसके अलावा, अपीलकर्ता द्वारा कुल्हाड़ी से कम से कम तीन घातक चोटें

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

पहुचाई गई थी, जो निहत्थे पीड़ित पर एक दुर्जेय हथियार है। इसलिए अपीलकर्ता अपवाद 4 के लाभ का हकदार नहीं है, या तो।"

8.4- उपरोक्त संप्रेक्षण इस मत का पूर्ण समर्थन करते हैं कि वर्तमान मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आता है।

8.5- अतः, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा -300 के अपवाद -4 को यह अभिनिर्धारित करने में तात्विक रूप से त्रुटि किया है कि यह नियोजित अपराध नहीं था और कोई पूर्व आशय नहीं था और यह तात्कालिक रूप से क्षणिक आवेश में हुआ।

8.6- सामग्री/साक्ष्य को देखते हुए अभिलेखों पर यहाँ चर्चा की गई, हमारा दृढ़ मत है कि यह मामला भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के चतुर्थ खंड के अधीन आता है और इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए विचारण न्यायालय सही था, विशेष रूप से, जब किसी देशी अग्नेयास्त्र से अभियुक्त ने मृतक पर निकट सीमा से गोली चलाई थी, एक निकट सीमा से फायरिंग करने वाले अभियुक्तों द्वारा, अभियुक्त को यह पता होना चाहिए कि यह इतना खतरनाक है कि यह सभी संभावना में मृत्यु का कारण बन सकता है या इस तरह की शारीरिक चोट के कारण मृत्यु होने की संभावना है।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

9- अब तक, अन्य तीन अभियुक्तों को बरी करते समय विचारण न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर अवंलम्ब लेते हुए अभियुक्तों की ओर से प्रस्तुत करने का संबंध है, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अन्य अभियुक्तों के सामान्य इरादे पर विचार करते समय विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा उन टिप्पणियों को किया गया था और इसलिए इस तरह की टिप्पणियों का लाभ मूल अभियुक्त सं-1 को उपलब्ध नहीं होगा। जब यह अभिलेख पर आया है और यह साबित हो गया है कि यह मूल अभियुक्त सं. 1 है जिसने मृतक पर गोली चलाई थी और वह भी बहुत निकट सीमा से।

10- उपर्युक्त और उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती है उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सजा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 में संशोधित करने के लिए पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को यहाँ खारिज और अपास्त किया जाता है। विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सं.2 -मूल आरोपी सं.1 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा -302 के तहत दंडनीय अपराध को यहां बहाल किया जाता है। अब, प्रत्यर्थी सं. 2-मूल अभियुक्त सं.1 -आज से तीन मास की अवधि के भीतर, विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दंडादेश के लिए संबद्ध न्यायालय के समक्ष समर्पण करना।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

.....

(न्यायमूर्ती, अरुण मिश्रा)

.....

(न्यायमूर्ती, एम. आर. शाह)

.....

(न्यायमूर्ती एस. रवीन्द्र भट्ट)

नई दिल्ली,

8 नवम्बर,2019.

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।